कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

कमांक प. 45/पीएण्डएम–।।/परिपत्र/05/डी– 377 दिनांक 30.1.12

परिपत्र नं. आर.–2/2012

निर्माण कार्यो में पारदर्शिता, गुणवत्ता तथा कार्यो को गति प्रदान करने बाबत निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है:–

1. प्रत्येक अधिशाषी अभियन्ता का कार्य क्षेत्र प्रारम्भ होने व समाप्ति पर बोर्ड लगाये जावें, जिस पर अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के नाम व टेलीफोन नम्बर लिखे हों।
2. गारन्टी अवधि की सड़कों पर स्वीकृत कार्य के दोनों तरफ बोर्ड लगाये जावें, जिन पर सड़क की लम्बाई, गांरटी अवधि एवं सम्बन्धित संवेदक, अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ताओं के नाम व टेलीफोन नम्बर अंकित किये जावें।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जी–शिड्यूल की प्रति प्रयुक्त होने वाली सामग्री की मात्रा आदि का विवरण सम्बन्धित ग्राम पंचायतो को उपलब्ध कराया जावें।
4. विभाग के कार्यो में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक कार्य स्थल पर कार्य का विवरण तथा सम्बन्धित संवेदक, अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ताओं के नाम व टेलीफोन नम्बर अंकित किये जावें।
5. निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावें। जिसके लिए जो कार्य प्रगतिरत है अथवा प्रारम्भ किये जाने है, उन पर नॉर्म्स अनुसार आवश्यक टेस्ट किये जावें तथा रिजल्ट अनुसार भुगतान के साथ लिंक किये जावें।
6. समस्त अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता गारन्टी अवधि की शत प्रतिशत सड़कों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सम्भाग कार्यालय को प्रेषित करेगें तथा सम्भाग द्वारा संकलित रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता कार्यालय को प्रेषित की जावेगी। गारन्टी अवधि में मरम्मत नही करने वाले संवेदकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें।
7. मिसिंग लिंक, सी.डी. कार्य, एम.डी.आर. सड़के एवं 250 से 499 तक की आबादी के गांवों को डामर सड़क से जोडने के प्रस्ताव नाबार्ड प्रोफार्मा में अविलम्ब प्रस्तुत करें।
8. अधिकाधिक सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावें।
9. नवीन कार्यो के तकमीनों में वृक्षारोपण का प्रावधान लिया जावें। गारन्टी अवधि में सड़क के रख रखाव के साथ ही वृक्षारोपण के रख रखाव का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का हो।
10. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न करने वाले संवेदकों के विरूद्व कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही की जावें।
11. जो कार्य पूर्ण हो गये है, उनके अन्तिम बिल का निस्तारण अविलम्ब किया जावें।
12. नाबार्ड कार्यो के व्यय अनुसार पुनर्भरण एवं पूर्ण कार्यो की पी.सी.आर. अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
13. इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं में राशि रू. 1415.00 करोड का प्रावधान है जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2011 तक रू. 767.00 करोड की राशि व्यय हुई है, जो कि बहुत कम है। अतः व्यवस्थित रूप से संसाधन बढाकर कार्यो की प्रगति बढाते हुये आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण रूप से अर्जित करें।

14. समस्त अधिकारी कार्यो के निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करें कि सा.नि.वि. की भूमि पर अतिक्रमण न हों तथा इसका विवरण निरीक्षण प्रतिवेदन में भी उल्लेखित करें। समस्त क्षेत्रीय अधिकारी इसका विशेष रूप से ध्यान रखे कि उनके कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण न हों।

30-1-12

मुख्य अभियन्ता (पथ)

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता / पथ / एन.एच. / पीएमजीएसवाई / एस.एस., सा.नि.वि., जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि., जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,सा.नि.वि. सम्भाग.....(समस्त)
8. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत.....(समस्त)
9. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड.....(समस्त)

30-1-12

मुख्य अभियन्ता (पथ)